

पारिवारिक विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या, अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाये जा रहे अभियान/निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के कुशल पर्यवेक्षण में थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 722/22 धारा 302,504 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र स्व0 मुराली निवासी जंगल तिकोनिया नं0-01 टोला कवटहिया थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादिनी ने सूचना दिया कि मेरा तथा मेरे भसुर का धर्मेन्द्र का छप्पर अगल बगल है। हम लोग अलग अलग रहते हैं एवं खाते पीते हैं। दिनांक 6/12/2022 को हमारे भसुर शराब के नशे में साइकिल से आये तथा गाली गुप्ता देने लगे तब हमारी सास ने कहा काहे गाली दे रहे हैं दिन में तुम्हारा नशा उतर जायेगा तब जो तुम्हारी समस्या होगी उसको निपटा लेना उसके बाद भी धर्मेन्द्र गाली देना बन्द नहीं किया तब मैंने भी कहा जब पीकर आते हो तब गाली देते हो और कहते रहते हो यदि जमीन में हिस्सा कम मिला है तो दिन में इसको समझ लेना तब कहने लगे मैं लाश गिराऊंगा तब मुझे हमारे पति स्व0 जितेन्द्र हम को पकड़कर हमारे छपर की तरफ ले जाने लगे तभी हमारे भसुर छपर के सामने पड़े हुए साखू के डाल से पीछे से मेरे पति के सिर पर मार दिये हमारे पति गिर गये और उनके नाक और मुह से खून आने लगे और मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह घटना दिनांक 6.12.2022 की है जिसके सम्बन्ध में मैंने थाना शाहपुर में मु0अ0सं0 0722/22 धारा 302,504 भादवि पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

धर्मेन्द्र पुत्र स्व0 मुराली निवासी जंगल तिकोनिया नं0-01 टोला कवटहिया थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0-722/22 धारा-302,504 भा0द0वि0 थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

बरामदगी का विवरण

आलाकत्ल साखू की लकड़ी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का नाम-

1. प्रभारी निरीक्षक मधुपनाथ मिश्रा थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
2. का0 सत्येन्द्र यादव थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
3. का0 रोहित गुप्ता थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर